न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –163 / 2022

1. यासिका पुत्री रणजीत नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सुनीता रानी पत्नी रणजीत जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर हाल नत्थोर तहसील राणिया।

– सायला

बनाम्

1. रणजीत पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ़ तहसील नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रामगढ़ उज्जलवास तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 10/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 12 / 11 की कुल 9.7790 हैक्ट भूमि में से 288 / 9779 हिस्सा व 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 124 / 124 की कुल 1. 4930 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 19 / 19 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में प्रार्थी के दादा एवं प्रार्थी के दादी के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज हुई। वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीया का जन्मजात हक हिस्सा हे। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अप्रार्थी स0 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गयी उक्त वाद भूमि में प्रार्थी का अप्रार्थी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है।

वादग्रस्त भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज होने का अनुचित फायदा उठाकर उक्त भूमि को फरोख्त करने पर आमाद है। अगर गैरसायलान कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी का अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि रोही मौजा चक 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 12 / 11 की कुल 9.7790 हैक्ट भूमि में से 288 / 9779 हिस्सा व 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 124 / 124 की कुल 1.4930 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 19/19 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि की अप्रार्थी स0 1 मौका एवं रिकार्ड की यथास्थित बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 12/11 की कुल 9.7790 हैक्ट भूमि में से 288/9779 हिस्सा व 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 124/124 की कुल 1.4930 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 19/19 की कुल 7.5900 हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की गैरसायल सीधा साधा ग्रामीण मजदूर व किसान है गैरसायल की पत्नी नाबालिग बच्ची का बहाना बनाकर भूमि हड़पना चाहती है तथा भूमि को अपनी बुरी आदतों को पूरा करने के लिए फरोख्त करना चाहती है। उक्त वाद भूमि गैरसायल को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। नेकीराम के सभी वारिसान को पक्षकारा नही बनाया गया है इसलिए समस्त वारिसों को पक्षकार बनायें बिना प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। गैरसायल विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है इसलिए रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी आदि का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक है–

<u>प्रथम दृष्टया माामला–</u> प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो की वाद को अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो इसका अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थना पत्र में संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित काश्तकार है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण प्रार्थी का उक्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है। प्रार्थी को अपने हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग करने का अधिकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। उक्त भूमि में से प्रार्थी को उनका हक हिस्सा दिये बिना रहन, बैय आदि किया जा सकता है परन्तु अप्रार्थी स0 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयत की चित्रप्रति से जो कि नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शुदा है से स्पष्ट है कि रोही मौजा 12 डीपीएन के खाता संख्या 124/124 [illegible] वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 को जरिये वसीयत प्राप्त हुई। प्रार्थीया का कथन है कि [illegible] की दादी ने अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:50:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के पक्ष में तहरीर करवाई है इसलिए उक्त भूमि भी पैतृक है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है।

सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्राथी को। प्रार्थना पत्र अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादित अराजी के काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी का भी वाद भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहनबय की जाती है तो प्रार्थीया को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है।

अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ती नुकसानी के रूप में नही कि जा सकती। चुंकी न्यायालय हाजा में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि अप्रार्थी स0 1 रोही मौजा चक 1 आरएमजी तहसील नोहर के खाता संख्या 12/11 की कुल 9.7790 हैक्ट भूमि में से 288/9779 हिस्सा व चक 12 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 124/124 की कुल 1.4930 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 19 डीपीएन तहसील नोहर के खाता संख्या 19/19 की कुल 7.5900हैक्ट भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में से से प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक की वाद भूमि को न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक रहन, बैय अथवा मुन्तकिल करने से निषेद्य रहें प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 10/06/24 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:30:58 IST
Reason: SelfAttested